International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157
Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 2; Issue 5; September 2017; Page No. 327-328

अलाउद्दीन का राजस्व एवं बाजार नियंत्रण सम्बन्धी व्यवस्था

निशान्त कुमार
शोध छात्र, इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

मध्यकालीन राजनीति में राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी सुल्तान होता था। शासन की संपूर्ण प्रभुसत्ता उसमें निहित थी। वह शक्ति का केन्द्र था। सर्वसाधारण उसे समाज का आदर्श मानता था। उसके नाम का फतवा पढ़ा जाता था तथा सिक्कों पर उसका नाम खोदा जाता था। सुल्तान निरंकुशता से शासन करने में अपना गौरव समझते थे यदि उसे राज्य का सर्वोच्च कहा जाये तो अतिश्योक्ति न होगी।[1]

परम्पराएँ समाज में पनपती एवं विकसित होती हैं और समय के साथ वे जड़ हो जाती हैं। उनके रूप स्वरूप बन जाते हैं। ये परम्पराएं ऐसा रूप ग्रहण कर लेती हैं और जीवन से ऐसी जुड़ जाती हैं कि उनका विलगाव संभव नहीं हो पाता। मध्यकालीन भारत का परिवेश कुछ ऐसा रहा है कि उस काल में पूर्व रीति–रिवाजों ने जहाँ परम्परा का रूप ग्रहण कर लिया, वहीं अनेकानेक परम्पराएं परवर्तित एवं विकसित भी हुई। इस प्रकार मध्यकालीन भारत का परिवेश परम्पराओं के सर्वथा अनुकूल रहा है। अलाउद्दीन के काल में संस्कृत का एक लेख प्राप्त हुआ जिसमें इसे 'युग का चरवाहा' कहा गया। अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धान्त बलबन की तरह प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। बलवन की तरह अलाउद्दीन की प्रतिष्ठा झूठी शान पर आधारित नही थी बल्कि यह आम जनता पर आधारित प्रतिष्ठा थी क्योंकि वह स्वयं कहता था कि मैं वही कार्य करता हूँ जो राज्य के हित में है मुझें यह नही मालूम कि शरा में इसकी अनुमति है या नही मुझे यह भी नही मालूम कि अल्लाह मेरे अंतिम दिनो मं मेरे साथ कैसा न्याय करेगे। इस प्रकार उसने धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की।[2] उसने पहली बार एक स्थायी सेना (खड़ी सेना ैजंदकपदह ।तउलद्ध का गठन किया। उसने सैनिको का हुलिया, घोड़ो को दागने और सैनिको को नगद वेतन देने की शुरूआत की उसके समय में सल्तनत काल की सबसे बड़ी सेना (4 लाख 75 हजार कीद्ध गठित की गयी।[3] इस सेना का गठन मध्य एशिया की मंगोलो की दशमलव प्रणाली पर आधारित था।

10 सैनिक = 1 सर–ए–खेल
10 सर–ए–खेल = 1 सिपहसालार
10 सिपहसालार = 1 अमीर
10 अमीर = 1 मलिक
10 मलिक = 1 खान[4]

उसने गुप्तचर व्यवस्था को संगठित किया तथा बरीद की सहायता के लिए मकुनहियन की नियुक्ति की।[5] अलाउद्दीन ने पहली बार डाक व्यवस्था की शुरूआत की जिसमे की घोड़ो के माध्यम से सूचनाये एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से भेजी जा सके।[6] अलाउद्दीन बलबन की भाँति न्याय के किसी भी हस्तक्षेप को स्वीकार नही करता था उसका भी मानना था कि राजा का कोई सगा–सम्बन्धी नहीं होता है।[7]

अलाउद्दीन की सबसे बड़ी उपलब्धि उसके आर्थिक सुधार है [8] जिसे मुख्यतः दो भागों मे राजस्व सुधार और बाजार नियंत्रण नीति में विभाजित किया जाता है–

राजस्व सुधारः के तहत अलाउद्दीन ने राज्य की आय को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किये :–

1. जिन लोगो को मिल्क, इनामा और वक्फ के रूप मे जमीने दी गयी थी उन्हे उनसे वापस लेकर राज्य की भूमि या खलासा भूमि परिवर्तित कर दिया गया।[9]
2. उसने दो नये कर धरी कर और चरी कर लगाये धरी कर मकानो पर जबकि चरी कर चारागाहो एवं दुधारू पशुओं पर लगाये गये।[10]
3. उसने सैनिको के लूट के हिस्से ;झीनउे (खम्स) में 80ः हिस्सा स्वयं जबकि 20ः हिस्सा सैनिको को दिया यद्यपि कुरान ने इसका 80ः हिस्सा सेना को देने की बात कही गयी।[11]

अलाउद्दीन के राजस्व सुधारो में सबसे महत्वपूर्ण उसका भू–राजस्व सुधार था उसने पहली बार भूमि की माप बिस्वा में करवायी तथा खूतो (जमीदारो) मुकद्दमो (मुखियाओं) और बलाहारो (किसान) के विशेषाधिकार वापस ले लिये तथा सीधे कृषकों से भ–राजस्व वसूल किया गया भू–राजस्व की मात्रा 50ः थी या) भाग था। यदि उसमे धरीकर चरीकर आदि को मिला जाय तो मात्रा 75–80ः तक हो जाती थी। अलाउद्दीन की यह भू–राजस्व व्यवस्था आगे चलकर क्रमशः सिकन्दर लोदी, शेरशाह सूरी और अकबर की भू–राजस्व व्यवस्था का आधार बनी।[12]

अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति एवं उनकी प्रभावनीयता समकालीनों के लिए आश्चर्य की बात थी।[13] अलाउद्दीन के पास सबसे बड़ी सेना थी उसके पास 50 हजार दास भी थे। एक विद्वान मोरबोल्ड ने अनुमान लगाया कि ''यदि इस सेना को सामान्य वेतन ही दिया जाता तो भी खजाना 5 वर्षो में खाली हो जाता''। अतः अलाउद्दीन ने सैनिको के वेतन को कम करने का निश्चय किया परन्तु वे किसी अव्यवस्था के शिकार न हो जाये इसके लिए उनके उपयोग की वस्तुओं के दाम उसने कम और निश्चित कर दिये उसकी यह नीति ही बाजार नियंत्रण नीति के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार इसका मुख्य उद्देश्य एक बड़ी सेना रखना था।

विद्वानो में इस बात को लेकर मतभेद है कि अलाउद्दीन बाजार नियंत्रण नीति केवल दिल्ली में लागू थी या उसके सम्पूर्ण क्षेत्र में बरती और मोरलैण्ड के अध्ययनों से पता चलता है कि यह केवल दिल्ली में ही लागू थी परन्तु कुछ आधुनिक विद्वानो ने प्रश्न किया सेना क्या केवल दिल्ली में ही थी अतः अब कहा जाता है कि उसने इसे अपने सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में लागू कराने की कोशिश की परन्तु उसे सफलता केवल दिल्ली मे मिली।[14]

अलाउद्दीन ने अपनी बाजार नियंत्रण नीति को सफल बनाने के कुछ नये विभाग और अधिकारियों की नियुक्ति की –

1. दीवाने रियासत – यह वित्त विभाग या इसके अधीन बाजार नियंत्रण नीति था।
2. शहना–ए–मंडी – गल्ला बाजार का अधीक्षक इस पद पर मलिक कबूल उलुगखनी की नियुक्ति की गयी।
3. वरीद एवं मुनहियन – गुप्तचर।
4. परवाना नवीस – परमिट जारी करने वाला अधिकारी।
5. नाजिर – माप–तौल का अधिकारी।
6. मुहतसिब – लोगों के आचरण पर नजर रखने वाला अधिकारी या सेंसर का अधिकारी।

इनके दरोगा–ए–मण्डी और कोतवाल शामिल नही थे।[15]
अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति को सफल बनाने के लिए कुल चार बाजार स्थापित किये –[16]
1. गल्ला बाजार।
2. साराय–ए–अदल।
3. घोड़ो दासो और मवेशियों का बाजार।
4. सामान्य बाजार।

गल्ला बाजार में अलाउद्दीन ने धुमक्कड़ व्यापारियों के माध्यम से सारा गल्ला उनसे खरीद कर दिल्ली मे स्थापित स्थायी व्यापारियों को दे दिया जाता था[17] और वहाँ उसे बेचा जाता था इसके लिए अलाउद्दीन ने कुल 8 अधिनियम जारी किये इसमें –

- प्रथम अधिनियम सभी प्रकार के फसलों के दाम निश्चित करने से सम्बन्धित था – जैसे – गेहूँ – 7) जीतल प्रति मन, चावल, दाल, चना – 5 जीतल प्रति मन, जौ – 4 जीतल प्रति मन
- इसका पाँचवा अधिनियम जमाखोरो से सम्बन्धित था।
- इसका आठवाँ अधिनियम आकाल आदि के समय राशनिंग व्यवस्था अर्थात् सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित था।

बरनी लिखता है कि उसके 20 वर्षो के शासन काल मे वस्तुओ के न तो दाम बढ़ ओर न ही घटे। वह इसे मध्य युग का चमत्कार मानता है।[18]
सराय–ए–सदल इसका शाब्दिक अर्थ न्याय का स्थान है परन्तु यह अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में बदायूँ द्वार के निकट दूसरा बाजार था। जिसे सरकार द्वारा अनुदान भी प्राप्त था इसमे बनी–बनायी वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। जैसे– कपड़ा तेल, मोमबत्ती, शर्कर आदि। परन्तु यह व्यापार उतना सफल नहीं रहे।[19]
घोड़ो, दासो एवं मवेशियो के लिए भी बाजार था।[20] इसमे अच्छी किस्म के घोड़े 100–120 टंक, मध्यम किस्म के घोड़े 80–90 टंक और निम्न किस्म के घोड़े 60–70 टंक के बीच मिलते थे। इसी प्रकार दास–दासियाँ 40–50 टंको में मिल जाती थी यद्यपि उनकी कीमत गुणवत्ता पर आधारित था। मवेशियों में भेंड़ बकरे 10–15 जीतल में, जबकि भैंस आदि 25–30 जीतल में मिल जाते थे।
सामान्य बाजार अलाउद्दीन द्वारा स्थापित चौथा व अन्तिम बाजार था इसमे रोजमर्रा की वस्तुएँ जैसे– मिठाई, सब्जी, जूता–चप्पल आदि बिकने के लिए आते थे। इसके भी दाम निश्चित थे। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार व इसकी बाजार नियंत्रण नीति उसके अपने उद्देश्यों में सफल रहे वह एक बड़ी सेना द्वारा सम्पूर्ण भारत पर विजिट करना चाहता था। जिसमें वह सफल रहा। जब इब्नवतूता दिल्ली आया तब उसने अलाउद्दीन द्वारा संचित चावल खाया। परन्तु उसके आर्थिक सुधार सामान्य आर्थिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल थे। कोई भी किसान अपना 80ः देकर कैसे इन सुधारो की वकालत कर सकता था। इसलिए डा0 ताराचन्द्र ने लिखा– ''कि उसने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही मार डाला''।

इसीलिए अलाउद्दीन के बाद किसी अन्य शासक ने इसे नही अपनाया तथा ग्यासुद्दीन तुगलक ने गद्दी पर बैठते ही उसके आर्थिक सुधारों को पलट कर पुरानी व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया। इन्ही परिस्थितियों में अलाउद्दीन की जलोदकर (पेचिस) रोग से मृत्यु हो गयी।[21]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मध्यकालीन भारत– इमत्याज़ अहमदः पृ0सं0त्र81
2. मध्याकालीन भारतः सल्तनत काल से मुगल काल तक (दिल्ली सल्तनत 1206–1526)–सतीशचंद्र पृ0सं0 70,71
3. द देलही सल्तनतः ए पॉलिटिकल एण्ड मिलिट्री हिस्ट्री– पीटर जैक्सन; पृ0सं0–85
4. तदैव, पृ0 सं0 86, 87
5. तदैव, पृ0 सं0 86 ,87
6. मध्यकालीन भारत भाग–1 हरिश्चन्द्र वर्मा; पृ0 सं0–380
7. मध्यकालीन भारतः सल्तनत काल से मुगल तक– सतीश चंद्र; पृ0सं0– 71, 72
8. तदैव, पृ0सं0 71, 72
9. तदैव,
10. तदैव,
11. तदैव, पृ0सं0–74
12. मध्यकालीन भारत– इमत्याज़ अहमद; पृ0 सं0– 86– 87
13. तदैव
14. तदैव
15. तदैव
16. मध्यकालीन भारतः सल्तनत काल से मुगल काल तक (दिल्ली सल्तनत 1206–1526)–सतीशचन्द्र; पृ0सं0 81–82
17. दिल्ली सल्तनत– ए0एल0 श्रीवास्तव
18. मध्यकालीन भारत– इमत्याज़ अहमद; पृ0सं0– 87
19. मध्यकालीन भारतः सल्तनत काल से मुगल काल तक(दिल्ली सल्तनत 1206–1526)–सतीशचन्द्र; पृ0सं0–84
20. तदैव
21. दिल्ली सल्तनत–1 मो0 हबीब, खालिक अहमद निजामी; पृ0सं0–351–353